लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स आरूण्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई सर्विसेस प्रा0 लि0, निदेशक–श्री संतोष कुमार, पिता–श्री महेन्द्र प्रसाद, पता–जिला परिषद् बजार, राजगीर, जिला–नालंदा द्वारा रोहतास सोन–02 बालूघाट मौजा–अतिमी, प्रखंड– नासरीगंज, जिला–रोहतास के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 29.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे रोहतास जिला के सोन–02, अंचल कार्यालय नासरीगंज, जिला–रोहतास में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2257/2023, dated 31.01.2023 के आलोक में श्री संजय कुमार सिन्हा, अपर समहर्त्ता (DGRO) रोहतास (जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, द्वारा दिनांक 29.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सोन–02, अंचल कार्यालय नासरीगंज, जिला–रोहतास में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपरिथति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 20.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आमिर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा।

पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (300 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री सुजित चौधरी, पिता-श्री परमानंद चौधरी, ग्राम-महादेवा, जिला-रोहतास	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।
2.	श्री सुदर्शन राम, पिता- श्री जगदीश राम, ग्राम-महादेवा, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नियमित रूप से रास्ते पर जल-छिड़काव किया जाय।
3.	श्री धीरेन्द्र कुमार पासवान, पिता-श्री नंदकिशारे पासवान, जिला- रोहतास।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जल-छिड़काव हेतु एक टैंकर प्रर्याप्त नहीं है। अधिक संख्या में टैंकर से जल-छिड़काव किया जाय। इनके द्वारा पूछा गया कि रोजगार एवं मजदूरी के बारे में बताया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
4.	श्री वकील सिंह, पिता-स्व0 मुन्द्रिका सिंह, ग्राम-महादेवा, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होनी चाहिए। उन्हें खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
5.	श्री रूदल कुमार, पिता-स्व0 राजेन्द्र पासवान, ग्राम-अतिमी, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान धूल नहीं उड़ना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा

		बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जायेगा। दिन में 02 बार जल–छिड़काव किया जायेगा।
6.	श्री संजय कुमार सिंह, पिता–स्व0 जयप्रकाश सिंह, ग्राम–महादेवा, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान वाहन से पानी गिरने के कारण रास्ते पर परेशानी होती है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि गिले बालू का परिवहन नहीं किया जायेगा। सिर्फ सुखे बालू का ही परिवहन तिरपाल से ढ़ककर किया जायेगा।
7.	श्री विनोद कुमार, ग्राम–अतिमीगंज, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि गाँव का रास्ता संकरा (सिंगल) बालू परिवहन होने से पानी गिरने से परेशानी होगी। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि गाँव के बीचों–बीचे बालू की ढुलाई नहीं होनी चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि आबादी के बीचों–बीच से बालू का परिवहन नहीं किया जायेगा। सुखे बालू का परिवहन किया जायेगा। जिससे पानी गिरने का समस्या नहीं रहेगी।
8.	श्री श्रीकांत निराला, पिता–श्री हरिश कुमार सिंह, ग्राम–महादेवा, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।
9.	श्री रामाशंकर पासवान–पिता–श्री रामजी पासवान, ग्राम–महादेवा, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन हेतु रास्ता गाँव के बगल से है। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

चर्चा के क्रम में जिला खनन् कार्यालय के तरफ से उपस्थित श्री कार्तिक कुमार, खनन पदाधिकारी ने खनन् कार्य हेतु सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडो की संक्षिप्त चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही कार्रवाई अनुमान्य है, जिसे सुनिश्चित कराया जाएगा।

चर्चा के क्रम में अध्यक्ष के द्वारा मुख्य रूप से परियोजना तथा परियोजना के आलोक में सरकार के द्वारा इस 'जन सुनवाई' के पीछे के निहित उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया कि संतुलित विकास सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार दृढ़ संकलप्ति है कि विकास से पर्यावरण संतुलन एवं आम–जनो की स्वास्थ्य आदि सुविधाओ पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े और इसी उदेश्य से सरकार के द्वारा

इस जन सुनवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार इस बात को मानती है कि आम जन अपने हितो को बेहतर समझते है और किसी परियोजना के वास्तविक परिचालन हेतु आम जन का पक्ष जानना, उनकी चिन्ताओं/शंकाओं का समाधान करना, उनके सुझावों का नियमानुसार परियोजना परिचालन के क्रम में अंगीकृत करना ही इस सुनवाई का लक्ष्य है।

उनके द्वारा रेखांकित किया गया कि परियोजना के सरकार के मानको/निर्धारित मापदंडों का अनुपालन तथा सतत् अनुश्रवण किया जाना परियोजना के द्वारा अपेक्षित है। उनके द्वारा इस बात को पुनः रेखांकित किया गया कि खनन् कार्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों यथा घाटों के दोनो तटो पर निर्धारित क्षेत्र को छोड़कर ही खनन् करने, खनन् के क्रम में नियमानुसार सतह से तीन मीटर की अधिसीमा का अनुपालन करने, खनन् क्षेत्र से मुख्य सड़क पर बालु के परिचालन हेतु Haul रोड का निर्माण करने, परिचालन के क्रम में संभावित वायु–प्रदुषण को रोकने हेतु नियमानुसार स्थल पर लगातार पानी छिड़काव करने, परिचालन स्थल के दोनो ओर अवस्थित पौधो/फसलों में सरकार के नियमानुसार पानी छिड़काव करने, पर्यावरण सतुलन हेतु खनन् क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपन करने, श्रमिको को कार्य करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण देने एवं कार्य स्थल पर मानक के अनुरूप अनुमान्य सुविधा उपलब्ध कराने, नियमानुसार पर्यावरण अंकेक्षण एवं निगरानी रखने, नियमानुसार परिचालन में व्यवहृत किये जाने वाले वाहनों को परिवहन विभाग के निदेशानुसार अनुमान्य क्षमतानुसार ही परिचालन आदि किये जाने की आवश्यकता को पुनः रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि परियोजना के संचालक, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं सभी सक्षम प्राधिकार सरकारी मापदण्डों का दृढतापूर्वक अनुपालन करेंगे तथा अनुपालन की सतत् निगरानी एवं अंकेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना स्थल से विद्यालय एवं अस्पताल की दूरी के दृष्टिगत अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि वे विद्यालय में CER (Corporate Environmental Responsibility) के अन्तर्गत अपने स्तर पर AIR-PURIFIER लगाने की संभावना पर विचार करे।

अध्यक्ष द्वारा चर्चा के क्रम में परियोजना में पर्यावरण की रक्षा के लिए की जाने वाली शमनकारी उपयोग हेतु पूंजी लागत एवं आवर्ती लागत की कर्णांकित राशि में बढ़ोतरी करने की गुंजाइश देखते हुए इसमे वृद्धि करने हेतु विचार करने का सुझाव दिया गया।

सुनवाई में उपस्थित प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि एवं परियोजना के पर्यावरणीय, सलाहकार के द्वारा आश्वस्त किया गया कि कि परियोजना को सरकार के निर्धारित मापदण्डों/नियमो के अनुसार ही संचालित होगी और आम जनों को इससे किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई/असुविधा नहीं होगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर समहर्त्ता
रोहतास

उपस्थिति सूची

मेसर्स आरूण्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई सर्विसेस प्रा० लि०, निदेशक-श्री संतोष कुमार द्वारा सोन 02 बालू घाट, मौजा-अतिमी, ब्लॉक-नासरीगंज, जिला-रोहतास में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Sanjay Kumar Sinha	ADM (DGRO)	[signature] 29-06-023
2.	Sain Kumar	R.O. Purnea. Bihar State Pollution Control Board.	[signature] 29/6/23
3.	Rajeev Kumar	ASO, BSPCB	Rajeev Kumar 29/06/23
4.	Ratin Kumar	PHO	[signature] 29/6/23
5.			
6.	Santosh Kumar	Dehri	[signature]
7.	Ajay Kumar	Dehri	[signature]
8.	Akhilesh	आतिमी गांव	अखिलेश चौधरी
9.	रामअवधचौहान	माहुदेव	रामअवधचौहान
10.	सुदर्शन राम	माहुदेव	सुदर्शन राम
11.	राजेश कुमार	अतमि गांव	राजेश कुमार
12.	मन्टू सिंह	अतिमी	मन्टू

13.	राजेन्द्र मांझी	पोखरडीहा	Rajindra
14.	महेन्द्र कुमार	सिकरियाँ	महेन्द्र कुमार
15.	पंकज कुमार सिंह	अतिमी	[illegible]
16.	जितेन्द्र सिंह	अतिमी	[illegible]
17.	बाबू सिंह	अतिमी	बाबू सिंह
18.	छोटन कुमार	अतिमी गांव	छोटन कुमार
19.	संतोष कुमार	नासरीगंज	Santosh Kumar
20.	अमित कुमार	नासरीगंज	Amit Kumar
21.	श्रीकान्त मिश्रा	नासरीगंज	Srikant.Mishra
22.	रमाशंकर	महादेवाँ	रमाशंकर
23.	पंकिल सिंह	हल्दी बिगहा	पंकिल सिंह
24.	दिनेश राम	महदेवाँ	दिनेश राम
25.	पप्पू यादव	हल्दी बिगहा	पप्पू यादव
26.	मो० आजाद अंसारी महफूज	[redacted] हल्दी बीघा	मो० आजाद अंसारी
27.	महफूज	अंसारी	महफूज

28.	अमित कु० सिंह	अतिथि	अमित कु० सिंह
29.	रतनलाल कुमार	आगामी	रतनलाल कुमार
30.	विनोद कुमार	अतिथी पंज	विनोद कुमार
31.	शक्ति कुमार	पत्नी	Shakti Kumar
32.	[illegible]	[illegible]	[signature]
33.	Rajaram Singh	Arunya contour	[signature]
34.	Rameshkumar	Anuna Constan	[signature]
35.	विक्रांत	Mahaswa	विक्रांत
36.	Suresh	ATMIYA	Suresh
37.	Harendra Kumar	Massiguy	[signature]
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			